न्यायालय अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

599

निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3914

प्र.क्र. /17 निग./जिला विदिशा

आर-ए.ए.-सेवा 16-10-17

16-10-17

पेशी दिनांक 6-11-17

आर-ए.ए.-सेवा ग्वालियर 16-10-17

संतोष कुमार पुत्र श्री नर्मदाप्रसाद पौराणिक, निवासी सिंचाई कॉलोनी, बरेठ रोड, गंज बासौदा, जि. विदिशा (म.प्र.)

......प्रार्थी

बनाम

गोपाल कृष्ण पुत्र श्रीकृष्ण ब्राह्मण निवासी गंज बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.)

......प्रतिप्रार्थी

<u>रिवीजन अंतर्गत धारा 50 भू.रा.संहिता 1959</u> विरूद्ध आदेश दिनांक 14.9.2017 न्यायालय तहसीलदार महोदय, गंज बासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) प्र.क्र. 22/अ70/15-16 व मामले गोपाल बनाम संतोष ग्राम मूड़रा तह. बासौदा में पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

रिवीजन प्रार्थी निम्न प्रकार पेश है :-

-: प्रकरण के तथ्य :-

1. यह कि अधिनस्थ तहसील न्यायालय में प्रतिप्रार्थी गोपाल द्वारा इस आशय का आवेदन धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं. का प्रस्तुत किया कि वह गंज बासौदा का निवासी होकर मूड़रा खलील का कृषक है।

2. यह कि मूड़रा खलील तहसील बासौदा में एक कृषि भूमि खाता क्र. 119 रकवा 0.188 हे. का स्थित है जिसका वह भूमि स्वामी आधिपत्यधारी है। उसने अपनी भूमि का सीमांकन विधिवत आवेदन देकर कराया है।

3. यह कि संतोषकुमार द्वारा आवेदक की भूमि पर अनाधिकृत रूप से बलपूर्वक कब्जा कर लिया है जबकि उक्त भूमि पर संतोषकुमार का कोई स्वत्व व आधिपत्य नहीं है।

4. यह कि आवेदक द्वारा संतोषकुमार से भूमि पर से कब्जा छोड़ने कहा किन्तु संतोषकुमार ने आवेदक के सीमा चिन्ह उखाड़ कर जबरन भूमि हांककर कब्जा कर लिया है तथ मना करने पर झगड़ा करने अमादा है। इसलिये संतोषकुमार से आवेदक को अपनी भूमि का कब्जा दिलाया जाना आवश्यक है। आवेदक ने थाने में रिपोर्ट की है किन्तु पुलिस द्वारा कोई

XXIX(a)-BR(H)-11

599

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3914

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	